

| बिहार विधान सभा के लिए शून्यकाल सूचना | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| श्रीमती सुजाता देवी, स०वि०स० द्वारा सदन में दिनांक -02.04.2012 को प्रस्तुत शून्यकाल सूचना सं०-29/2012 के संबंध में | श्रीमती रेणु कुमारी कुशवाहा, मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना |
| शून्यकाल सूचना | उत्तर |
| <p>सुपौल जिलान्तर्गत पिपरा प्रखण्ड के पंचायत धुमहा, ग्राम -बेलोखरा में दिनांक -26.03.2012 की रात भीषण आग लगने से तेरह परिवार का पच्चीस घर जलकर राख हो गया । सभी गरीब परिवार है ।</p> <p>अतः मेरी मांग है कि प्रत्येक परिवार को सहायता राशि और इन्दिरा आवास दिया जाय ।</p> | <p>जिला पदाधिकारी, सुपौल के प्रतिवेदनानुसार प्रत्येक पीड़ित परिवारों को एक क्वींटल खाद्यान्न तथा वस्त्र हेतु मो० 1000.00 बर्तन हेतु मो० 1000.00 एवं नगद अनुदान के रूप में मो० 250.00 कुल 2250.00 रु० प्रति परिवार की दर से सहायता राशि उपलब्ध करा दिया गया है ।</p> <p>13 अग्नि पीड़ितों में से एक अग्नि पीड़ित का नाम ए०पी०एल०/बी०पी०एल० सूची में शामिल नहीं है । चार अग्नि पीड़ित ए०पी०एल० सूची में शामिल हैं जिन्हें इन्दिरा आवास देय नहीं है । बी०पी०एल० सूची में अंकित पाँच अग्नि पीड़ितों को पूर्व में इन्दिरा आवास उपलब्ध करा दिया गया है । शेष 3(तीन) बी०पी०एल० सूची में अंकित अग्नि पीड़ितों को इन्दिरा आवास प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है । प्रथम किस्त के रूप में मो० 30000.00 (तीस हजार) रु० की दर से राशि प्रति लाभुक को उनके खाते में अन्तरण कर दिया गया है ।</p> |

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक -04/वि०स०शू०का०-103/2012/...../आ०प्र०, दिनांक -


प्रतिलिपि उप सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके पत्रांक -910 दि०-20.06.2012 के क्रम में 03(तीन) प्रतियों में /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक -04/वि०स०शू०का०-103/2012/...../आ०प्र०, दिनांक - 24/4/13

प्रतिलिपि सुश्री कविता कुमारी, आई०टी० मैनेजर, आ०प्र० विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित ।


सरकार के अवर सचिव